

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या-1583 वर्ष 2026**

धर्मेन्द्र कुमार@मुंदी

..... आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

.....विपक्षी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : मनीषा त्रिवेदी

विपक्षी(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 15**माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार**

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

आरोपी-आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 0603/2025 धारा 3(5), 109(1), 115(2), 352, 351(3) भारतीय नागरिक संहिता, पुलिस स्टेशन मोहम्मदपुर खाला, जिला बाराबंकी के तहत जमानत चाहता है।

अभियोजन पक्ष के मामले में आरोप है कि दिनांक 20.11.2025 को लगभग 4:30 बजे शाम को जब शिकायतकर्ता का भाई मंदिर के पास खड़ा था, तो नामित आरोपियों ने पुरानी दुश्मनी के कारण और जान से मारने की नियत से उस पर हमला कर दिया। शोर-शराबा सुनकर शिकायतकर्ता और परिवार के अन्य सदस्य उसे बचाने गए, लेकिन आरोपियों ने उन्हें भी पीटा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलील यह है कि घायल शैलेन्द्र ने आवेदक को चोट पहुँचाने में केवल एक सामान्य भूमिका सौंपी है और उसे कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। इसी तरह, अन्य घायल व्यक्तियों ने भी आवेदक को एक सामान्य भूमिका सौंपी है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ने जमानत आवेदन के प्रस्तर 23 और क्रॉस प्र०सू०रि० में एक मामले के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की है। दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कराया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सह-अभियुक्त सर्वेश कुमार को इस न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन संख्या 1452 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2026 के तहत पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एक अन्य सह-अभियुक्त, अर्थात् सुनीता को भी इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 12740/2025 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2026 के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसलिए, आवेदक उपरोक्त सह-अभियुक्त व्यक्तियों को दिए गए जमानत आदेशों के साथ समानता चाहता है।

आगे यह भी कहा गया है कि जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक के न्याय से भागने या अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत मिल गई है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि घायल शैलेन्द्र की बायीं पश्चकपाल हड्डी और टेम्पोरो-पैरिटल हड्डी में फ्रैक्चर के साथ-साथ नरम ऊतक खोपड़ी की सूजन भी हुई है।

मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और साथ ही पत्रावली का अवलोकन भी किया है।

इन तथ्यों पर उचित विचार करने पर कि सह-अभियुक्त सर्वेश कुमार और सुनीता को जमानत दे दी गई है; घायल शैलेन्द्र को चोट पहुंचाने का सामान्य आरोप सात लोगों पर लगाया गया है; अभियोजन पक्ष के मामले से यह स्पष्ट नहीं है कि गंभीर चोट किसने पहुंचाई; इस तथ्य के साथ कि आवेदक ने जमानत आवेदन के प्रस्तर 23 में एक मामले के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की है; वह 16.12.2025 से जेल

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में हैं; और मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ।

तदनुसार, जमानत अर्जी स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त प्र०सू०रि०/मुकदमा अपराध संख्या में शामिल आवेदक **धर्मेंद्र कुमार@मुंदी** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंधन और समान राशि की दो जमानत राशि प्रस्तुत करने पर उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए: -

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा या डराएगा नहीं;
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होगा।

कोई अन्य शर्त जो विचारण न्यायालय/संबंधित अदालत मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे, भी लगाई जा सकती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और इसका मुकदमे की योग्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

मार्च 20, 2026

आर. सी-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।